शीर्ष प्राथमिकता

संख्या–3404 / 9–आ–3–99–74 वि0 / 99

प्रेषक,

यज्ञवीर सिंह चौहान,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

उपाध्यक्ष / सचिव
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

आवास अनुभाग–3 लखनऊ : दिनांक : 26 अक्टूबर, 1999

विषय :भवन मानचित्र स्वीकृत करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश में औद्योगिक वातावरण बेहतर बनाने के लिये शासन प्रयासरत है। इसी संदर्भ में नगरों में व्यवसायिक तथा ग्रुप हाउसिंग मानचित्र की स्वीकृति की प्रक्रिया के सरलीकरण सम्बन्धी शासनादेश समय–समय पर निर्गत किये गये हैं ताकि औद्योगिक इकाइयों के लम्बित मामलों का निस्तार शीघ्रता से हो सके।

2. शासन की जानकारी में यह बात आयी है कि प्रदेश में स्थापित औद्योगिक इकाइयों के लम्बित भवन मानचित्रों की स्वीकृति के सम्बन्ध में प्राधिकरण स्तर से अलग–अलग अभिलेख / सूचना सम्बन्धित इकाइयों से प्राप्त करने में पत्र व्यवहार कर महत्वपूर्ण निर्यातकों से सम्बन्धित औद्योगिक इकाइयों के मानचित्र अत्यधिक विलम्ब से स्वीकृत किये जाते हैं। इस सम्बन्ध में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि अभिलेख / सूचनायें सम्बन्धित इकाइयों से अलग–अलग न प्राप्त कर, उक्त इकाइयों से समस्त अभिलेख / सूचनायें एक साथ प्राप्त की जायं तथा लम्बित मानचित्रों की स्वीकृति प्राथमिकता के आधार पर यथाशीघ्र प्रदान की जाय। इन आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,
यज्ञवीर सिंह चौहान,
विशेष सचिव,

संख्या–3404(1) / 9–आ–3–99–74वि0 / 99 तद्दिनांक

प्रतिलिपि अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,
जावेद एहतेशाम
उप सचिव।